सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
कार्तिक 11, मंगलवार, शाके 1943-नवम्बर 02, 2021	
Kartika 11, Tuesday , Saka 1943- November 02, 2021	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा अधिसूचनाएं।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 2, 2021

एस.ओ.529 :-राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956(1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(1)/एफडी/जीएण्डटी-एसपीएफसी/2017 दिनांक 04-05-2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मई 4, 2021

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 58 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि कोविड 19 की दूसरी लहर पूरे देश में फैल रही है और राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार उपापन की विस्तृत प्रक्रिया का इस आपातिक और अकल्पित परिस्थिति में पूर्ण रूप से पालन करना साध्य नहीं है और लोक हित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, स्थानीय निकाय विभाग और उसके नियंत्रण के अधीन उपापन संस्थाओं (स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों, आवासन मंडल और न.वि.न्या.) द्वारा केवल कोविड-19 के प्रबंध से संबंधित आक्सीजन संयंत्रों और आक्सीजन कन्सन्ट्रेटर्स और उससे संबद्ध अनुषंगिक सामग्री के उपापन और लगाये जाने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के उपबंधों को लागू किये जाने से इसके द्वारा छूट देती है।

[**सं.एफ2(1)/एफडी/एसपीएफसी/2017]**

राज्यपाल के आदेश से,

आशुतोष बाजपेयी,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.